रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 96] नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 1970/ज्यैष्ठ 4, 1892

No. 96] NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 1970/JYAISTHA 4, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 25th May 1970

G.S.R. 859.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 101/67-Central Excises dated the 26th May, 1967, the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts, subject to the same terms and conditions as are specified in the said notification, Pilfer proof caps and Metal containers, and further directs that the following amendment shall be made in the said notification, namely:—

In the Appendix to the said notification, after serial number 27 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely:—

"28	42	Pilfer proof caps.
29	46	Metal containers."

[No. 120/70-CE.]

R. B. SINHA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 25 मई, 1970

सा० का० नि० 859.—अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944, के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 101/67 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 26 मई, 1967 के क्रम में केन्द्रीय सरकार यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, उन्हीं निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है; पिल्फर प्रूफ ढक्कनों और धातु आधानों को एतद्द्वारा छूट देती है और आगे निदेश देती है कि उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट में, क्रम संख्या 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"28	42	पिल्फर प्रूफ ढक्कन
29	46	धातु आधान

[सं० 120//70-के० उ० शु०]

आर० वी० सिन्हा, उप सचिव, ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970